

अभियांत्रिकी महाविद्यालय झालावाड़

राजस्थान सरकार का स्वायत्तशासी संस्थान)
सुनेल रोड, झालरापाटन, झालावाड़, राजस्थान-326023
फ़ोन: +91-07432-242811, 242812
ईमेल: principalgecj@gmail.com
वेबसाइट: www.gecj.ac.in



ENGINEERING COLLEGE JHALAWAR

(An Autonomous Institution of Government of Rajasthan)
Sunel Road, Jhalrapatan, Jhalawar, Rajasthan- 326023
Tel.No.+91-07432-242811, 242812
Email:principalgecj@gmail.com
Website:www.gecj.ac.in

Ref. No.GECJ/2023-24/ 172

Date: 11.08.2023

Order

सत्र 2023-24 के लिये छात्रावासों का शुल्क

S.No.	Hostel	Hostel Fees (Per year) + (One time caution Money for new Students) Fee in Rs.
01	Boys& Girls (New students) B.Tech. & MBA. I Yr. (3 Seater Room)	11400 + 2000 (Caution Money) =13400 /- I Semster & 11400 II Semster
02	Boys & Girls (LEEP student) (new students)	22800 + 2000 =24800 /-
03	Boys & Girls (Old Students) B.Tech.II.III.IV. Yr.& MBA. II Yr. (3 Seater Room)	22800 /-

- विद्यार्थियों को निर्धारित शुल्क नगद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट **Principal Govt.Engineering College Jhalawar** के नाम बनवाना है, साथ ही प्रोक्टर कार्यालय से छात्रावास का निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त करके, वार्डन की आवश्यक कार्यवाही / स्वीकृति के पश्चात लेखाशाखा में जमा करानी होगी ।
- द्वितीय ,तृतीय तथा चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थी छात्रावास फार्म के साथ पिछले वर्ष की फीस रसीद की व आधार कार्ड एवं बैंक पास बुक की छायाप्रति संलग्न करनी आवश्यक है ।
- छात्रावास शुल्क राशि रूपये 22800 /- वर्तमान सत्र 2023-24 का चार्ज है।
- छात्रावास शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथी दिनांक है एवं इसके पश्चात फिस जमा कराने पर अतिरिक्त पेनल्टी शुल्क नियमानुसार देय होगा।
- छात्रावास शुल्क में मैस चार्जेज सम्मिलित नहीं है।

11.08.2023



- विद्यार्थी जो मानसिक या शारिरिक बीमारी से ग्रस्त है, छात्रावास में प्रवेश लेना वर्जित है। विद्यार्थी बीमारी को छिपा कर छात्रावास में प्रवेश लेता है और महाविद्यालय प्रशासन को ज्ञात होने पर तुरन्त प्रभाव से छात्रावास से प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा और आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
- विद्यार्थी अपने सामान जैसे लेपटॉप, मोबाइल, धन राशि, ए टी एम कार्ड, केलकुलेटर इत्यादि की सुरक्षा स्वयं की होगी। छात्रावास से चोरी या गायब हो जाने पर महाविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- यह आवश्यक / अनिर्वाय नहीं है कि वर्तमान सत्र में रह रहे विद्यार्थी को आगामी सेमेस्टर / सत्र में छात्रावास में प्रवेश दिया जायेगा।
- यदि कोई विद्यार्थी महाविद्यालय की सम्पत्ती को नुकसान पहुँचाता है साथ ही बिजली उपकरणों (जैसे हीटर, आयरन प्रेस और कुलर) का उपयोग करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही के साथ आर्थिक दण्ड (रूपये 5000) की भी कार्यवाही की जायेगी।
- यदि कोई विद्यार्थी सत्र के बीच में छात्रावास प्रवेश रद्द करने के लिये निवेदन करता है तो कॉशन मनी के अतिरिक्त किसी भी तरह की फीस महाविद्यालय द्वारा नहीं लौटाई जायेगी।
- लेखाशाखा को निर्देशित किया जाता है कि वे महाविद्यालय के आदेश क्रमांक GECJ/17-18/325 दिनांक 12.09.17 के अनुसार छात्रावासों (छात्र एवं कन्या छात्रावासों) में निवासित विद्यार्थी यदि चिकित्सा, सुविधा हेतु महाविद्यालय के वाहन से रात्रि में चिकित्सालय जाता है तो वह विद्यार्थी अगले दिन लेखाशाखा में मय आवेदन पत्र के साथ निर्धारित राशि नगद लेखाशाखा में जमा करवायेगा।

— sd —

प्राचार्य

प्रतिलिपि:-

- 1 कुलसचिव
- 2 वार्डन, छात्र व कन्या छात्रावास
- 3 लेखा शाखा
- 4 अकादमिक शाखा
- 5 निजी सहायक, प्राचार्य
- 6 महाविद्यालय वेबसाइट
- 7 नोटिस बॉर्ड

11.08.2023

प्राचार्य

Principal
Engineering College Jhalawar